

न्यायालय तहसीलदार कठुनर (अलवर) राज.

राजस्थान जारिये रिपोर्ट पटवारी हल्का बनाव
 प्रकरण अर्जागत धारा 91 प्रमाण पत्र पृष्ठ

प्रकरण संख्या :- 14/18/RA


निर्णय दिनांक :- 31/12/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि याग गुसारी की आ.ख.न. 1231 कुल रकमा 0.73 किस्म जमीन गैरकृषि में से 0.03 रकमे पर की एकमिटर 30 रामोली जाय पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर किया कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का गुसारी द्वारा दिनांक 4/6/18 अक्रमण कर को उसके विरुद्ध याचनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय गु.अ.निरी. दरौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी एकमिटर 30 रामोली जाय निवासी गुसारी को गु.राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस याद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।
 उक्त रकम गु.अ.निरी. 1281 रकमा 0.73 में से 0.03 रकमे किस्म गैरकृषि है जो नियमन के योग्य नहीं है मिर्जापुरा को अतिक्रमण रकमे से वेदखल किया जाने के आदेश, दिये जाते है एवं दण्ड स्वरुप लगान 28 Pais का 50 गुणा 14/12 रकमे पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी गुसारी गु.अ.निरी. दरौदा को लिखा जाकर याद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
 (अलवर) राज.
 कठुनर (अलवर) राज.

अतिरिक्त :- प. ६

ग. म. सं. ६ क. पृष्ठ ६ ५० रकम कुल
 दि. 20.1.8-19 राजकी रकमे ६ 14/-
 की काय की की गई


 तहसीलदार
 कठुनर (अलवर)